[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 73/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 954(अ) सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 75 की उपधारा (2) और (3) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 31 अक्तूबर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1018(अ), दिनांक 31 अक्तूबर,2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करती है, यथाः:-

उक्त अधिसूचना में,'नोट्स और शर्तों' शीर्षक के अंतर्गत, क्रमांक 12क के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"(12क) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) और (5) में दिए गए प्रतिअदायगी की दर और सीमा किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर तब लागू होगी जब निर्यात कर्ता निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करेगा:-

(क) (i) निर्यात कर्ता सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उप आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्तिथि हो, के समक्ष इस बात की घोषणा करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसकी संतुष्टि के लिए सिद्ध करेगा कि किसी निर्यात उत्पाद पर या किसी निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का इनपुट क्रेडिट नहीं लिया गया है और न ही लिया जायेगा; अथवा

(ii) यदि वस्तु का निर्यात एकीकृत माल और सेवा कर के भुगतान के तहत किया गया हो तो निर्यात कर्ता इस बात की घोषणा करेगा कि निर्यात उत्पाद पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर के रिफंड का दावा नहीं किया जाएगा;

(ख) निर्यात कर्ता सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उप आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्तिथि हो, के समक्ष इस बात की घोषणा करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसकी संतुष्टि के लिए सिद्ध करेगा कि निर्यात कर्ता ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर किसी सेनवेट क्रेडिट की राशि को अग्रसारित नहीं किया है और न ही किया जाएगा।";

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू हुई समझी जयेगी।

(**फा.सं.** 609/64/2017-**डीबीके**)

(**आनंद कुमार झा**)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) को सा.का.नि. 1018(अ) दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (1) में प्रकाशित किया गया था और इसमें

अंतिम बार अधिसूचना संख्या 59/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.), सा.का.नि. 724(अ) दिनांक 29 जून, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।